फर्द अहकाम (नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी।

अनवानः– आरजू बनाम विनोद कुमार

अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वाद संख्या....64/2026

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हो

026 यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवकता राजस्थान काश्तकरी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे।

वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के सलंग्न दस्तावेजो व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त भूमि चक 6 के एचआर के खाता स0 86/59 में कुल 4.554 अप्रार्थी स0 1 अपने नाम से दर्ज आराजी को रहन, बैय, मंतकिल न करे ।

उक्त अंतरिम स्थगन आदेश सरकारी रास्ता व खाला पर लागू नही होगा। अधिवकता प्रार्थी, अप्रार्थीगण की तलबी रजिस्टर्ड ए.डी. से करवाकर रसीदे पांच दिवस में पेश करे अन्यथा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः खारिज हो जावेगा। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 22.04.2026 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी (मुहर)

([illegible] आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

22/4/26 पत्रावली पेश हुई, प्रार्थी रावीदास जरिये अधिवक्ता प्रा. पत्र 0-1-R-10 CPC पेश प्रा.प. किया, पत्रावली वास्ते जवाब प्रा.पत्र 0-1-R-10 CPC दिनांक 25/5/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

29/4/26 पत्रावली पेशी में ली गयी हस्तगत प्रार्थना पत्र के संलग्न मूल वाद पत्रिया

द्वारा विड्रो/खारिज किये जाने के कारण हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

(सत्यनारायण RAS)